न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

ओमकार सिंह बनाम गिरवर सिंह

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा 190/2006	
17.07.2023	पत्रावली- आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
190 / 2006	2006 / 00014	05.12.2006	17.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. ओकारसिंह पुत्र अगरसिंह
2. **कुन्दनसिंह पुत्र अगरसिंह मृतक के बजायः–**

2/1 मंजू कंवर पत्नी स्व. कुन्दनसिंह

2/2 चेतन सिंह पुत्र स्व. कुन्दनसिंह

2/3 जगदीश सिंह पुत्र स्व. कुन्दनसिंह

2/4 रूप कंवर पुत्री स्व. कुन्दनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादीगण–

बनाम्

1 **गिरवर सिंह पुत्र डाल सिंह मृतक के बजायः–**

1/1 भंवर कंवर पत्नी गिरवर सिंह

1/2 मिठू कवर पुत्री गिरवर सिंह

1/3 राजेन्द्र सिंह पुत्र गिरवर सिंह

1/4 मनोज कंवर पुत्री गिरवर सिंह

1/5 तेजपाल सिंह पुत्र गिरवर सिंह

2 धीमु सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

3 मोहनी कंवर पत्नी डाल सिंह मृतक के बजायः–

3/1 बकट सिंह पुत्र गोपाल सिंह

3/2 मनोहर सिंह पुत्र गोपाल सिंह

3/3 मंजू कंवर पुत्री गोपाल सिंह

3/4 मरूधर कंवर पुत्री गोपाल सिंह

3/5 संतोष कंवर पुत्री गोपाल सिंह

3/6 स्वरूप कंवर पुत्री डाल सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी चावंडिया वाया जाखली तहसील मकराना जिला नागौर राज0

4 सुनीता कंवर पत्नी भवानीसिंह

5 धर्मसिंह पुत्र माधोसिंह

6 राजूसिंह पुत्र माधोसिंह

7 विजेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह

8 रणजीत सिंह पुत्र रामसिंह

9 पारस कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह

10 गिरवर सिंह पुत्र मदन सिंह

11 श्रीपाल सिंह उर्फ शिवपाल मृतक के बजायः–

11/1 सुनिता कंवर पत्नी श्रीपाल सिंह उर्फ शिवपाल

11/2 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह उर्फ शिवपाल

11/3 रेणु कंवर पुत्री श्रीपाल सिंह उर्फ शिवपाल

12 नरेन्द्र सिंह मृतक के बजायः–

12/1 पान कंवर पत्नी नरेन्द्र सिंह

12/2 भंवर कंवर पुत्री नरेन्द्र सिंह

12/3 भूपेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह

12/4 इन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

11/5 विरेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह

12/6 अभिषेक पुत्र नरेन्द्र सिंह

13 सुरेन्द्र सिंह पुत्र हीरसिंह

14 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

15 कैलाश कवर पत्नी रामसिंह

16 कमलेश कवर पत्नी डूंगरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील नांवा जिला नागौर राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित:—

श्री गिरीराज शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री सुनील कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5, 2,3/1 से 3/6, 9 से 10, 11/1 से 11/3, 12/1 से 12/6, 15, 16 अभिभाषक।

श्री मनोज कुमार शर्मा एड0 प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 7, 8 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से

<u>वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 542, 543, 1087, 1337, 1363 कुआ कुल किता 5 कुल रकबा 1.22 हैक्टर तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे अवस्थित है। वादी[illegible] 13 एक ही परिवार एव खानदान के मौरूस आला स्व[illegible] शालसिंह [illegible] वंश[illegible] होकर एक ही परिवार के सदस्य भाई–भाई है तथा विवादित [illegible] है जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड पिता वादीगण अगरसिंहजी के नाम 1/[illegible] हिस्सा, 1/5 हिस्सा का पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

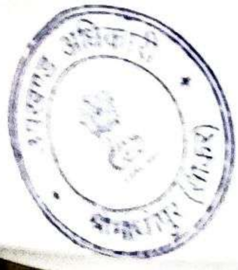

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पिता प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 डालसिंह के नाम, 1/5 हिस्सा का पिता प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 11 मदनसिंह के नाम, 1/5 हिस्सा का दादा प्रतिवादीगण नम्बर 12 ता 13 किशोर सिंह के नाम एवं 1/15 हिस्सा का पिता प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 7 माधोसिंह के नाम एवं 1/15 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 8 के नाम एवं 1/15 हिस्सा का प्रतिवादीया नम्बर 9 के नाम से चल रहा है जो कि सही रूप से दर्ज चला आ रहा है। उक्त अगरसिंह, डालसिंह, माधोसिंह, मदनसिंह, किशोरसिंह व किशोरसिंह पुत्र हरिसिंह मौत हो चुकी है। जिनमे अगरसिंह के वादीगण, डालसिंह के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3, माधोसिंह के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7, मदनसिंह के प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 11 एवं किशोर सिंह व हरिसिंह के प्रतिवादीगण नम्बर 12 ता 13 कानूनी वारिसान कायम मुकामान अज जायज है। उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान की मौरूसी कृषि भूमियां हैं। जिनको वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 13 अर्सा कदीम से बाहमी रूप से पारिवारिक समझौता के तहत अलग अलग विभक्त कर काश्त करते चले आ रहे है। जिसके मुताबिक उक्त वर्णित भूमि में से खसरा नं. 1087 रकबा 0.34 हेक्टर सम्पूर्ण भूमि पिता वादीगण मृतक अगरसिंह के हिस्सा में आई थी। जिस पर पहले अगरसिंह अकेले काबिज काश्त करते रहे एवं उनके मरने के बाद से उक्त भूमि खसरा नं. 1087 संपूर्ण पर अकेले वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। भूमि का अलग सीव आदि बनाकर सीमाओं से महदुद कर रखा है। काफी खर्चा कर चाही व समतल बनाकर काश्त योग्य बना रखा है। उक्त भूमि से बाहमी पारिवारिक समझौता के बाद से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं रहा है। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण को भूमियों का विधिक तकास्मा कराने व खाते अलग अलग कराने बाबत कहा तो वे हर बार हां करते रहे व आश्वासन देते रहे लेकिन अर्सा करीब 10 दिन पूर्व स्पष्टतः इंकार हो गये व वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने पर आमादा हो गये। इसलिए दावा दायर करना लाजिम आया। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वा[illegible]र डिक्री फरमाया जावे– उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण न. 1 ता 13 के मध्य तकास्मा की डिक्री पारीत की जाकर मुताबिक तकास्मा उक्त भूमियों में से खसरा न. 1087 रकबा 0.34 हेक्टर तन ग्राम लिसाडिया के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण न. 1 ता 13 व मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अगरसिंह, डालसिंह, माधोसिंह, मदन सिंह, किशोर सिंह, हरिसिंह का नाम हटाकर खातेदारी अलग से लगान कायम कर अलग से अकेले वादीगण के नाम दर्ज करने का व शेष भूमियों के रिकार्ड से वादीगण व मृतक अगरसिंह का नाम हजफ कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिये जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 2 ता 3, 4, 7 व 8 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/5, 3/1 से 3/6, 9 से 10, 11/1 से 11/3, 12/1 से 12/6, 15, 16 की ओर से श्री सुनील कुमार शर्मा एड0 उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 13 व 14 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादीगण श्री सुनील कुमार शर्मा एड0 के द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब देही का अवसर बन्द किया गया। वकील वादीगण ने साक्ष्य वादीगण में वादी औंकार सिंह का एंव साक्ष्य वादी गवाहान् में गवाह भवानीसिंह, दिलीप सिंह, रामसिंह शेखावत, दातार कुमार के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 3, 4, 7 व 8 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन करते हुए वकील वादीगण ने प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। जिस बाबत वकील प्रतिवादीगण श्री सुनील कुमार शर्मा एड0 ने भी वादपत्र में पक्षकारान् के हक हिस्से में दर्ज किये अनुसार प्रारंभिक डिक्री जारी किये जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अपनी सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही प्रकरण को बहस में लिया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम लिसाडिया के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 542, 543, 1087, 1337, 1363 (कुंआ) कुल किता 5 कुल रकबा 1.22 हैक्टर तन ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों का विधिक तकास्मा करवाना चाहते है। प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार भूमियों का विधिक [illegible] जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दिये जाने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाना [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

12/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनाक 14.08.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1458/रीडर/2022 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 507/भू.अ./2023 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण व प्रतिवादीगण अभिभाषकों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वाद[illegible] भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज राजस्व [illegible] होना प्रमाणित होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमियां पक्षकारान् की [illegible] होना सिद्ध होता है। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

[signature] 24/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उक्त प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटवारा के हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वही वकील प्रतिवादीगण श्री सुनिल कुमार शर्मा एडवोकेट ने भी प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 व 3/1 से 3/6, 7, 8, 9, 10, 11/1 से 11/3 व 12/1 से 12/6, 15 व 16 की ओर से फाईनल डिक्री जारी की जाती है तो वकील प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 व 15, 16 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13, 15 व 16 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत [illegible] की वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जा[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

12/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकारमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 20.03.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. औंकार सिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/25 2. औंकारमल पुत्र रलीराम हिस्सा 7/1695 3. कुन्दन सिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/25 4. किशोरसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह हिस्सा 1/5 5. गिरवरसिंह पुत्र डालसिंह हिस्सा 1/15	1087	0.3400	चाही– 2	6.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

6. गोपाल कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/25					
7. घीसुसिंह पुत्र डालसिंह हिस्सा 433/6476					
8. तेजपालसिंह पुत्र गिरवरसिंह हिस्सा 1/300					
9. प्रभूदयाल पुत्र मुरलीराम हिस्सा 7/1695					
10. पुष्पा कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/25					
11. पारसकंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/15					
12. बंक्टसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 1/300					
13. बाबूलाल पुत्र छीतरमल हिस्सा 40/4857					
14. भंवरकंवर पत्नि स्व0 गिरवरसिंह हिस्सा 1/300					
15. भानाराम पुत्र मुरलीराम हिस्सा 7/1695					

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

12/10/21

16. मदनसिंह पुत्र गंगसिंह हिस्सा 1/5

17. मन्जू कंवर पुत्री गिरवरसिंह हिस्सा 1/300

18. मन्जू कंवर पुत्री गोपालसिंह हिस्सा 1/300

19. मनोहरसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 1/300

20. मरूधरकंवर पुत्री गोपालसिंह हिस्सा 1/300

21. माधोसिंह पुत्र भोपालसिंह हिस्सा 1/15

22. मिटठुकंवर पुत्री गिरवरसिंह हिस्सा 1/300

23. रूघनाथप्रसाद पुत्र बिशनराम हिस्सा 40/4857 जाति माली सा ढाणी ढायवाली तन लिसा[illegible]

24. रणजीतसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 17/339

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

25. राजेन्द्रसिंह पुत्र गिरवरसिंह हिस्सा 1/300 26. संतोष कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/25 27. संतोष कंवर पुत्री गोपालसिंह हिस्सा 1/300 28. सरदारमल पुत्र मुरलीराम हिस्सा 7/1695 29. स्वरूपकंवर पुत्री डालसिंह हिस्सा 1/60 समस्त जाति राजपूत सा0 देह खातेदार				
योग खाता	किता – 1	0.3400	——	6.3000

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. औंकार सिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/25 2. कुन्दन सिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 1/25	1337 135[illegible]	0.[illegible] 0.0200	चाही–2 गै0मु0चाह	10.75

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

3. किशोरसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह हिस्सा 1/5 4. गोपाल कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/25 5. घीसुसिंह पुत्र डालसिंह हिस्सा 1/12 6. तेजापालसिंह पुत्र गिरवरसिंह हिस्सा 1/60 7. पुष्पा कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/25 8. पारसकंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/15 9. बंक्टसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 1/300 10. भंवरकंवर पत्नि स्व0 गिरवसिंह हिस्सा 1/60 11. मदनसिंह पुत्र गंगसिंह हिस्सा 1/5 12. मन्जू कंवर पुत्री गिरवरसिंह हिस्सा 1/60 13. मन्जू कंवर पुत्री गोपालसिंह हिस्सा 1/300 14. मनोहरसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 1/300	542 कुंआ 543 आबादी माल्यावाली	0.0400 0.2400	गै0मु0चाह गै0मु0आबादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

	15. मरूधरकंवर पुत्री गोपालसिंह हिस्सा 1/300 16. माधोसिंह पुत्र भोपालसिंह हिस्सा 1/15 17. मिटठुकंवर पुत्री गिरवरसिंह हिस्सा 1/60 18. रणजीतसिह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/15 19. राजेन्द्रसिंह पुत्र गिरवरसिंह हिस्सा 1/60 20. संतोष कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1/25 21. संतोष कंवर पुत्री गोपालसिंह हिस्सा 1/300 22. स्वरूपकंवर पुत्री डालसिंह हिस्सा 1/60 समस्त जाति राजपूत सा0 देह खातेदार				
	योग खाता	किता – 4	0.8800	—	10.7500

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. में)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. औंकार सिंह पुत्र अगरसिंह हिस्सा 5810921 / 13721025 जाति राजपूत 2. मंजू कंवर पत्नी कुन्दन सिंह चेतन सिंह, जगदीश सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, रूपकंवर पुत्री कुन्दन सिंह हिस्सा 5810921 / 13721025 जाति राजपूत 3. औंकार मल पुत्र मुरली राम हिस्सा 7 / 1695 जाति माली 4. गोपाल कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1 / 25 जाति राजपूत 5. प्रभुदयाल पुत्र मुरलीराम हिस्सा 7 / 1695 जाति माली 6. पुष्पा कंवर पुत्री अगरसिह हिस्सा 1 / 25 जाति राजपूत 7. बाबूलाल पुत्र छीतरमल हिस्सा 40 / 4857 जाति माली	1087	0.3400	चाही–2	6.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

17/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, बामनवास

8 भानाराम पुत्र मुरलीराम हिस्सा 7 / 1695 जाति माली 9 रघुनाथ प्रसाद पुत्र बिशनराम हिस्सा 40 / 4857 जाति माली 10. संतोष कंवर पुत्री अगरसिंह हिस्सा 1 / 25 जाति राजपूत 11. सरदारमल पुत्र मुरलीराम हिस्सा 7 / 1695 जाति माली				
योग खाता	किता – 1	0.3400	चाही–2	6.30
2 1. किशोर सिंह पुत्र दुर्जन साल सिंह हिस्सा 11 / 50 जाति राजपूत 2. गोपाल कंवर पुत्री अगर सिंह हिस्सा 1 / 25 जाति राजपूत 3. पुष्पा कंवर पुत्री अगर सिंह हिस्सा 1 / 25 जाति राजपूत	1337 1363 कुंआ 542 कुआं 543 आबादी [illegible]	0.5800 0.0200 0.0400 0.2400	चाही 2 गै0मु0 चाह गै0 मु0 चाह गै0 मु0 आबादी 0.2300 गै0 मु0 चाह 0.0100	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

13/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

4. संतोष कंवर पुत्री अगर सिंह हिस्सा 1/25 जाति राजपूत				
5. घीसु सिंह पुत्र डाल सिंह हिस्सा 53/600 जाति राजपूत				
6. तेजपाल सिंह पुत्र गिरवर सिंह हिस्सा 53/3000 जाति राजपूत				
7. पारस कंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह हिस्सा 11/150 जाति राजपूत				
8. बंकट सिंह पुत्र गोपाल सिंह हिस्सा 13/3000 जाति राजपूत				
9. भंवर कंवर पत्नि स्व0 गिरवर सिंह हिस्सा 53/3000 जाति राजपूत				

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

10. मदन सिंह पुत्र गंगा सिंह हिस्सा 11 / 50 जाति राजपूत				
11. मन्जू कंवर पुत्री गिरवर सिंह हिस्सा 53 / 3000 जाति राजपूत				
12. मन्जू कंवर पुत्री गोपाल सिंह हिस्सा 13 / 3000 जाति राजपूत				
13. मनोहर सिंह पुत्र गोपाल सिंह हिस्सा 13 / 3000 जाति राजपूत				
14. मरूधर कंवर पुत्री गोपाल सिंह हिस्सा 13 / 3000 जाति राजपूत				
15. माधो सिंह पुत्र भोपाल सिंह हिस्सा 11 / 150 जाति राजपूत				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

16. मिटठु कंवर पुत्री गिरवर सिंह हिस्सा 53 / 3000 जाति राजपूत				
17. रणजीत सिह पुत्र रामसिंह हिस्सा 11 / 150 जाति राजपूत				
18. राजेन्द्र सिंह पुत्र गिरवर सिंह हिस्सा 53 / 3000 जाति राजपूत				
19. संतोष कंवर पुत्री गोपाल सिंह हिस्सा 13 / 3000 जाति राजपूत				
20. स्वरूप कंवर पुत्री डाल सिंह हिस्सा 13 / 600 जाति राजपूत				
योग खाता	किता – 4	[illegible]		10.75

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अत उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी मे अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावे। रहन इत्यादि हो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 507/भू.अ./23 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested